संख्या-2/2015/वे0आ0-2-54/दस-2015-8(मु0स0स0)/2011

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पंचायती राज विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 27 जनवरी, 2015

विषयः मुख्य सचिव समिति द्वारा पंचायती राज विभाग के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरणों पर दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव समिति द्वारा पंचायती राज विभाग के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरणों पर दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गयेः--

(1) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800 को यथावत् बनाये रखा जाय।

(2) सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के वर्तमान में रिक्त पदों पर नई नियुक्तियॉं न की जायें।

(3) सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के वर्तमान में रिक्त 17 पदों को अपर जिला पंचायत राज अधिकारी पदनाम से वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600 में परिवर्तित कर दिया जाय। सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के भविष्य में पदोन्नति/सेवा निवृत्ति अथवा अन्य किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के पदों में परिवर्तित किया जाय।

(4) ऐसे 18 जनपद जहां वर्तमान में सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के पद सृजित नही है, वहॉं अपर जिला पंचायतराज अधिकारी के नये पद वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600 में सृजित किये जाये।

(5) अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के पदों को 03 वर्ष की सेवा वाले सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों से शत- प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जाये।

(6) जिला पंचायत राज अधिकारी के वर्तमान में पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हेतु प्रावधानित 50 प्रतिशत पदों में से 45 प्रतिशत पदों को 02 वर्ष की सेवा वाले अथवा सहायक विकास अधिकारी की सेवा सहित कुल 05 वर्ष की सेवा वाले अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के पदों से पदोन्नति द्वारा भरा जाय। पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में 05 वर्ष की सेवा वाले सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों से पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान किया जाय। शेष 05 प्रतिशत पदों को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के पदों से भरे जाने की

http://bhasanadesh.up.nic.in

व्यवस्था को इनके पदधारकों के बने रहने तक बनाये रखी जाय। सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के पदधारकों के उपलब्ध न रह जाने पर अपर जिला पंचायत राज अधिकारी से पदोन्नति का कोटा प्रतिशत 45 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत कर दिया जायेगा।जिला पंचायत राज अधिकारी के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती की वर्तमान व्यवस्था पूर्ववत् बनाये रखी जाय।

(7) पंचायतीराज विभाग द्वारा विभागीय कार्यात्मक आवश्यकता को संज्ञान में रखते हुये अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के पदों के कार्य एवं दायित्व के निर्धारण के आदेश अलग से निर्गत करेंगे।

2- कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें। साथ ही तत्क्रम में अपेक्षित शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
सचिव।

संख्या-2/2015/वे0आ0-2-54(1)/दस-2015-8(मु0स0स0)/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
2- कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3- निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in